

विवरण पत्र संख्या-1

समिति द्वारा निरीक्षण की गई आवासीय भू-उपयोग वाली कालोनियों सम्बन्ध में विवरण:-

क्रम सं०	कालोनी का नाम/मौ०/ग्राम का नाम	ले-आउट प्लान की स्थिति	मौके पर विकास की स्थिति	निर्मित भवनों का प्रतिशत	लम्बित मानचित्र	समिति की संस्तुतियां
1-	महेन्द्र विहार कालोनी	ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं है। ले-आउट प्लान निजी भू-खण्ड स्वामियों से प्राप्त हुआ है। सड़कों की चौ० रिक्त स्थान व पार्क का क्षेत्रफल कम है।	सड़कें टूटी पूरी अवस्था में हैं। पानी व बिजली की व्यवस्था है अन्य कोई सुविधा प्राप्त नहीं है।	लगभग 70% पूर्ण	8	समिति की संस्तुति है कि 10 रु० प्रति वर्गमीटर भू-खण्ड क्षेत्रफल की दर से विकास शुल्क लेकर इस कालोनी में मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाय तथा इसके ले-आउट को यथा स्थिति स्वीकार कर लिया जाय।
2-	आकाशदीप कालोनी	ले-आउट स्वीकृत नहीं है। सड़कें 30 फुट चौड़ी हैं और महायोजना में इसका भू-उपयोग आवासीय है। पार्क तथा खुला स्थान नहीं छोड़ा गया है।	सड़कें हैं किन्तु परम्पत चाहती है बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध है।	लगभग 80% पूर्ण	6	समिति की संस्तुति है कि विकास शुल्क लेकर इन कालोनी के मानचित्र स्वीकार कर दिये जाय तथा इसके ले-आउट को भी यथा स्थिति स्वीकार कर लिया जाय।
3-	सुन्दर विहार कालोनी	स्थल पर एक ही सड़क है जिसकी चौड़ाई 20' है केवल 13 प्लॉट हैं रिक्त स्थान या पार्क खाली स्थान नहीं छोड़ा गया है।	सड़कें टूटी पूरी अवस्था में हैं। पानी व बिजली उपलब्ध है अन्य कोई सुविधा नहीं है।	लगभग 80% पूर्ण	9	समिति की संस्तुति है कि 10/- प्रति वर्गमीटर भू-खण्ड क्षेत्रफल की दर से विकास शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाय तथा इसके ले-आउट को यथा स्थिति स्वीकार कर लिया जाय।
4-	बन विहार कालोनी	ले-आउट स्वीकृत नहीं है। सड़कें 30' चौड़ी हैं पार्क है किन्तु निर्धारित सीमा से कम है जनसाधारण से पार्क ले-आउट प्राप्त हो सका है।	सड़कें हैं किन्तु परम्पत चाहती है पानी तथा बिजली उपलब्ध है अन्य कोई सुविधा नहीं है।	लगभग 70% पूर्ण	12	समिति की संस्तुति है कि 10/- प्रति वर्गमीटर भू-खण्ड क्षेत्रफल की दर से विकास शुल्क लेकर इनके मानचित्र स्वीकार कर लिये जाय तथा यथा स्थिति इस कालोनी के ले-आउट को स्वीकार कर लिया जाय।

- 6
- 5- बल्लूपुर कालोनी ले-आउट स्वीकृत नहीं है। सड़कें टूटी फूटी है • लगभग 90 गुणवत्ता 2 • समिति की संस्तुति है कि 10/- रु० प्रतिवर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्रफल की दर से विकास शुल्क लेकर इस कालोनी के मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाय तथा इस पुस्तक ले-आउट को यथास्थिति स्वीकार कर लिया जाय।
- 6- राम विहार कालोनी ले-आउट स्वीकृत नहीं है। सड़कें हैं किन्तु दशा अच्छी नहीं है बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध है अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। 0/1 11 समिति की संस्तुति है कि 10/- प्रतिवर्गमीटर प्लॉट क्षेत्रफल की दर से विकास शुल्क लेकर इसके मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाय। तथा इस कालोनी का ले-आउट यथास्थिति स्वीकार कर लिया जाय।
- 7- विजय पार्क Ch. मोन/ ले-आउट स्वीकृत नहीं है। कुछ देर नगरपालिका द्वारा टैंक ओवर किया जा चुका है सड़कें 20" चौड़ी हैं पार्क है किन्तु निर्धारित सीमा से कम छोड़ा गया है। सड़कों की दशा अच्छी नहीं है बिजली तथा पानी है तथा पार्क निर्धारित सीमा से कम है तथा कालोनी के प्लान स्थान नहीं है अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। 15 समिति की संस्तुति है कि नगरपालिका द्वारा टैंकओवर किये गये भाग को छोड़कर शेष भाग से 10/- रु० प्रति वर्गमीटर प्लॉट दर से विकास शुल्क लेकर कालोनी के मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाय। (New 30x40 road widening, Half meter 20 narrow road & 20x40 & 50x40 area)
- 8- आशुतोष इन्वलेव ले-आउट स्वीकृत नहीं है। सड़कें 30" चौड़ी हैं किन्तु पार्क व सामुदायिक सुविधाओं के लिये स्थान नहीं छोड़ा गया है इस कालोनी में लीची के पेड़े काफी संख्या में हैं। सड़कें बनी है किन्तु वे सड़कें में काफी हलकी हैं पानी की विजली की सुविधा केवल बने भवनों तक ही है। 5/ 35 पिनडाल समिति ने इसमें मानचित्र नहीं स्वीकृत करने की संस्तुति की है समिति की रिपोर्ट के परस्तर 315 के अनुसार प्राधिकरण के निर्णयाधीन कार्यवाही।

9- राज विहार कालोनी

ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं है  
पार्क व खले स्थान छोड़े नहीं गये  
है सड़कें 30" चौड़ी है

सड़कें कच्ची है बिजली  
पानी की सुविधा के  
बिना मकानों तक उपलब्ध  
है अन्य कोई सुविधा नहीं

लगभग 30% / क

8 रिपोर्ट परस्तर 3151 के अनुसार  
प्राधिकरण के निर्णयाधीन कार्यवाही  
फ्लिहाल समिति ने इसे अनाधिकृत घोषित  
किया है ।

10- पंचशील पार्क

ले-आउट प्राप्त नहीं हो पाया  
है सड़कें 30" चौड़ी है लेकिन पार्क  
व खले स्थान नहीं छोड़े गये है

सड़कें टूटी फूटी अवस्था में  
है या ठीक से नहीं है ।  
बिजली पानी एक बिना  
मकानों तक है । अकोई  
और सुविधा उपलब्ध नहीं

लगभग 10% / क

6 रिपोर्ट के परस्तर 3151 के अनुसार  
प्राधिकरण के निर्णयाधीन कार्यवाही  
फ्लिहाल समिति ने इसे अनाधिकृत घोषित  
किया है ।

11- बसन्त विहार  
इन्कलेब

ले-आउट प्राप्त नहीं हो पाया  
है सड़कें 30" चौड़ी किन्तु पार्क  
व खले स्थानों के लिये स्थान  
नहीं छोड़ा गया है ।

सड़कें कच्ची जैसी है  
व पानी केवल मकानों  
तक उपलब्ध है अन्य  
सुविधा उपलब्ध नहीं

लगभग 10% / क

16 यथा उपरोक्त

12- महारानी बाग

ले-आउट प्राप्त है किन्तु लेकिन  
स्वीकृत नहीं है सड़कें 30" चौड़ी  
है किन्तु पार्क व निर्धारित स्थान  
निर्धारित सीमा से कम है ।

सड़कें है पानी  
मकान तक उपलब्ध  
बिजली भी बिना  
तक उपलब्ध है  
सुविधा उपलब्ध नहीं

लगभग 2% / क

13- मोहित विहार

ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं  
है ले-आउट प्लान स्वामियों  
द्वारा प्राप्त हुआ है सड़कें 30"  
चौड़ी है पार्क व खले स्थान नहीं  
छोड़े गये है

सड़कें बना है पार्क  
बिजली केवल बिना  
हो उपलब्ध है अन्य  
सुविधा उपलब्ध नहीं

लगभग 20% / क  
अ 31/51

36 समिति की रिपोर्ट के परस्तर 3151 के  
अनुसार प्राधिकरण निर्णयाधीन कार्यवाही।

14- शक्ति कालोनी न्यू कैंट  
रोड

ले-आउट स्वीकृत नहीं है ले-आउट  
निजी भू-खण्ड स्वामी से प्राप्त  
हुआ है सड़कें 30" चौड़ी है किन्तु  
पार्क व खले स्थान नहीं छोड़े गये  
है ।

सड़कें कच्ची है पार्क  
बिजली केवल बिना  
तक उपलब्ध है । अ  
कोई सुविधा उपलब्ध  
नहीं है ।

लगभग 20% / क

10 समिति की रिपोर्ट के परस्तर 3151 के  
अनुसार प्राधिकरण के निर्णयाधीन कार्यवाही

15- चन्द्र लोक  
राजपुर रोड

ले-आउट स्वीकृत नहीं है। ले-आउट सड़कें पक्की है किन्तु मरम्मत निजी भू-खण्ड स्वामियों से प्राप्त चाहती है और मानक के हुये हैं सड़कें 30" चौड़ी है किन्तु अनुसार नहीं है बिजली पानी पार्क व खुले स्थान नहीं छोड़े गये हैं। उपलब्ध है।

16- चन्द्रशेखरआजाद  
कालोनी

ले-आउट स्वीकृत नहीं है निजी सड़कें कच्ची है बिजली केवल भू-खण्ड स्वामी से ले-आउट प्राप्त बने मकानों तक उपलब्ध है हुआ है सड़कें लीस-मीटर है किन्तु पानी की लाईन है अन्य कोई पार्क व खुले स्थान नहीं छोड़े गये सुविधा उपलब्ध नहीं है।

17- कालोनी इंडो  
सी० रोड

ले-आउट स्वीकृत नहीं है सड़कें 30" चौड़ी हैं पार्क व खुला स्थान नहीं छोड़ा गया है। सड़कें कच्ची हैं बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध है।

18- केवल विहार  
कालोनी  
अधाईवाली

ले-आउट स्वीकृत नहीं है केवल पार्ट ले-आउट प्राप्त हुआ है सड़कें 30 फिट चौड़ी है पार्क व खुले स्थान नहीं छोड़े गये हैं। सड़कें कच्ची है बिजली पानी सभी मकानों तक उपलब्ध है। अन्य और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

19- कालोनी  
कालीदास रोड

ले-आउट स्वीकृत नहीं है केवल सड़कें कच्ची है बने मकानों तथा 12 के लगभग प्लट हैं सड़कें 30" चौड़ी हैं किन्तु पार्क आदि नहीं कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। छोड़ा गया है।

12 समिति की रिपोर्ट के प्रस्तर 315 के अनुसार प्राधिकरण के निर्णयाधीन कार्यवाही।

केवल 4  
मान बने=है=+  
हैं। 6

यथा उपरोक्त

8 समिति की संस्तुति है कि 10/- रु० प्रति वर्ग मीटर भू-खण्ड क्षेत्रफल की दर से विकास शुल्क लेकर इस कालोनी के मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाय।

20 समिति की संस्तुति है कि 10/-रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से पूर्ण ले-आउट पर विकास शुल्क लेकर इस कालोनी के मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाय।

समिति के रिपोर्ट के प्रस्तर 315 के अनुसार प्राधिकरण के निर्णयाधीन कार्यवाही।

20- आर्यनगर कालोनी नई कालोनी

ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं है ले-आउट प्राप्त नहीं है सड़कें 30' चौड़ी है किन्तु पार्क आदि नहीं है लगभग 25 प्लॉट है।

सड़कें कच्ची हैं अथवा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

20%

6. समिति की रिपोर्ट के अनुसार 3151 के अनुसार प्राधिकरण के निर्णयाधीन कार्यवाही ।

21- सत्यविहार कालोनी

ले-आउट स्वीकृत नहीं है तथा ले-आउट प्राप्त नहीं हो सका है । पार्क व खुले स्थान नहीं हैं सड़कें 30' चौड़ी हैं ।

सड़कें टूटी फूटी जगहों में बिजली पानी के बने मकानों तक सुविधा हैं अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

6% से अधिक

6. समिति की रिपोर्ट के अनुसार संस्तुति है कि 10/-रु० प्रतिवर्गमीटर की दर से विकास शुल्क लेकर इस कालोनी के मानचित्र स्वीकृत कर दिये जायं । तथा इसके ले-आउट तथा स्थिति स्वीकार कर लिये जायं ।

प. आर. व. ल. सो. म. प्र. वि. वि. वि.  
V. K. Singh  
आ. वि. सं. 11.6.98  
सं. डे. वि. सं. 370  
द. 21.5.98

ह. उ. गे. र. सिंह ।  
अध्यागामी अभियन्ता  
आवास विकास परिषद  
देहरादून ।

रा. के. श. रा.  
देहरादून विकास प्राधिकरण,  
दून ।

गर्भ रक्षण विभाग आंध्र प्रदेश की सरकार  
24.9.86 को आदेशों के अन्तर्गत प्रेषित  
की जानकारी के अनुसार की जानकारी

(83)

1) श्री एच. ए. पांगी, आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार  
आंध्र प्रदेश सरकार

2) श्री ए. ए. पांगी, आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार  
आंध्र प्रदेश सरकार

3) श्री ए. ए. पांगी, आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार  
आंध्र प्रदेश सरकार

4) श्री ए. ए. पांगी, आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार  
आंध्र प्रदेश सरकार

5) श्री ए. ए. पांगी, आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार  
आंध्र प्रदेश सरकार

6) श्री ए. ए. पांगी, आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार  
आंध्र प्रदेश सरकार

7) श्री ए. ए. पांगी, आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार  
आंध्र प्रदेश सरकार

8) श्री ए. ए. पांगी, आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार  
आंध्र प्रदेश सरकार

9) श्री ए. ए. पांगी, आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार  
आंध्र प्रदेश सरकार

10) श्री ए. ए. पांगी, आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार  
आंध्र प्रदेश सरकार

पृष्ठ संख्या 86  
दिनांक 24/9/86  
स्थान

आयुक्त/अध्यक्ष,

दिनांक 24-9-86 को हुई प्राधिकरण की बैठक का कार्यवाही

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। इसके अन्तर्गत पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की कृपा

करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

दि० 27-9-86

*[Signature]*  
श्री शंकर

*[Signature]*  
उपाध्यक्ष,

*[Red Stamp]*  
27/9/86

श्री श्री  
श्री शंकर उपाध्यक्ष  
यश/